

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कं. एफ 4 (128)आयो/आकाशि/07-पार्ट/ 897

दिनांक 17.09.2012

कार्यालय आदेश


वित्त (व्यय-1) की आई.डी. संख्या 101203358 दिनांक 13.09.12 से प्राप्त सहमति के आधार पर निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के अन्तर्गत अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को निम्नानुसार प्रास्थगित (kept in abeyance)/ मृत संवर्ग के रूप में सृजन किया जाता है।

1. अशैक्षणिक कर्मचारियों के निम्नलिखित पद उनके सम्मुख अंकित संख्या में आगामी आदेश तक प्रास्थगित (kept in abeyance) किये जाते हैं:-

कं.सं.	पद	महाविद्यालय का नाम जहां से पद प्रास्थगित (kept in abeyance) होना है।	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	स्टेनोग्राफर	आर.आर. अलवर	1	
		निदेशालय, कॉलेज शिक्षा	1	
		कुल	2	
2	बुक लिफ्टर	राज. महा., अजमेर	1 /	
		राज. आर.आर. महा., अलवर	1 /	
		राज. आर्ट्स महा., अलवर	1 /	
		राज. महा., बारा	2 /	
		राज. महा., बाड़मेर	2 /	
		राज. महा., ब्यावर	2 /	
		राज. कन्या महा., भीलवाड़ा (प्रशासनिक स्वीकृति)	1	
		राज. महा., बुन्दी	1 /	
		राज. महा., हनुमानगढ़	1 /	
		राज. महा., जालौर	1 /	
		राज. महा., झालावाड़	1 /	
		राज. महा., झुन्झुनू	1 /	
		राज. महा., नागौर	1 /	
		राज. महा., पाली	1 /	
		राज. महा., सांभरलैक	1 /	
		राज. महा., श्री गंगानगर	1 /	
		राज. महा., सीकर	1 /	
		राज. महा., सिकरोही	1 /	
		राज. महा., शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1 /	



		राज. महा., सुजानगढ़	1	
		राज. महा., भेड़तासिटी	1	
		राज. महा., रागगंजमंडी	1	
		राज. महा., रागगढ़	1	
		राज. महा., रतनगढ़	1	
		राज. महा., सरदार शहर	1	
		राज. कन्या महा. झालावाड़ (प्रशासनिक स्वीकृति)	1	
		<b>कुल</b>	<b>29</b>	
3	कनिष्ठ लिपिक	राज. महा., अजमेर	1	
		राज. महा., बांसवाड़ा	1	
		राज. महा., बारां	1	
		राज. महा., बाड़मेर	1	
		राज. महा., ब्यावर	1	
		राज. एम.एस.जे महा., भरतपुर	4	
		राज. महा., डीडवाना	1	
		राज. महा., झालावाड़	1	
		राज. महा., करौली	1	
		राज. महा., राजगढ़	2	
		राज. महा., सवाई माधोपुर	1	
		राज. एम.एल.वी. महा., भीलवाड़ा	2	
		राज. महा., जैसलमेर	1	
		राज. महा., नाथद्वारा	1	
		राज. महा., सुजानगढ़	2	
		राज. महा., नीम का थाना	1	
		राज. महा., सीकर	1	
		राज. महा., निम्बाहेंड़ा	1	
		राज. महा., सरदार शहर	1	
		राज. महा., सलुम्बर	1	
		राज. महा., तारानगर	1	
		<b>कुल</b>	<b>27</b>	
4	वरिष्ठ लिपिक	राज. महा., दोसा	1	
5	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष	राज. महा., धौलपुर	1	
6	गैस-मैन	राज. आर.आर. महा., अलवर	1	
		राज. महा., बारां	1	
		राज. महा., ब्यावर	1	
		राज. एम.एल.वी. महा., भीलवाड़ा	1	
		राज. डूंगर महा., बीकानेर	1	
		राज. महा., चित्तौड़गढ़	1	



		राज. महा., धौलपुर	1	
		राज. महा., जालौर	1	
		कुल	8	
7	मिस्त्री	राज. महा., धौलपुर	1	
		राज. महा., जालौर	1	
		राज. महा., कोटा	1	
		कुल	3	
8	प्रयोगशाला सहायक	राज. महा., अजमेर	4	
		राज. आर.आर. महा., अलवर	7	
		राज. महा., बांसवाड़ा	3	
		राज. महा., बारा	1	
		राज. एम.एस.जे. महा., भरतपुर	3	
		राज. एम.एल.वी. महा., भीलवाड़ा	4	
		राज. महा., बीकानेर	4	
		राज. महा., बून्दी	3	
		राज. महा., चुरू	2	
		राज. महा., डीडवाना	2	
		राज. महा., धौलपुर	1	
		राज. महा., डूंगरपुर	2	
		राज. महा., जालौर	1	
		राज. महा., झालावाड़	2	
		राज. महा., झुन्झुनू	1	
		राज. महा., करौली	1	
		राज. महा., कोटा	6	
		राज. महा., कोटपुतली	3	
		राज. महा., नाथद्वारा	1	
		राज. महा., प्रतापगढ़	1	
		राज. महा., राजगढ़	1	
		राज. महा., सिरोही	5	
		राज. महा., निम्बाहेड़ा	1	
		कुल	59	
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	राज. महा., बारा	2	
		राज. महा., ब्यावर	1	
		राज. एम.एस.जे. महा., भरतपुर	1	
		राज. महा., बून्दी	1	
		राज. महा., चित्तौड़गढ़	1	
		राज. महा., डीडवाना	2	
		राज. महा., जैसलमेर	2	



		राज. महा., जालौर	2	
		राज. महा., झुझुनु	2	
		राज. महा., कोटपूतली	2	
		राज. महा., नीम का थाना	2	
		राज. महा., श्रीगंगानगर	3	
		राज. महा., शाहपुरा (भीलवाड़ा)	2	
		राज. महा., टोंक	2	
		राज. महा., बहरोड़	2	
		राज. महा., भवानीमंडी	2	
		राज. महा., डीग	1	
		राज. महा., देवली	1	
		राज. महा., गंगपुर सिटी	1	
		राज. महा., केकड़ी	1	
		राज. महा., मालपुरा	2	
		राज. महा., रतनगढ़	2	
		राज. महा., तारानगर	1	
		राज. महा., नोखा	1	
		राज. कन्या महा. चितौड़गढ़	1	
		कुल	40	
10	एनिमल कैचर	राज. महा., बारां	1	
11	कार्यालय अधीक्षक (सर्वेयर पद हेतु)	राज. महा., खैरवाड़ा	1	
13	अनुदेशक	राजस्थान संगीत संस्थान	1	
14	प्रयोगशाला वाहक	राज. महा., कोटा	6	
15	लेखाकार	राज. महा., खैरवाड़ा	1	
		राज. महा., मण्डफिया	1	
		राज. महा., कालाड़ेरा	1	(कनिष्ठ लेखाकार के पद हेतु)
		राज. महा., चिमनपुरा	1	
		कुल	4	
		कुल	183	

2. निदेशालय, कॉलेज शिक्षा के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के अन्तर्गत अनुदानित महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदस्थापन हेतु अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदों का मृत संवर्ग के रूप में उनके सम्मुख अंकित संख्या में निम्नानुसार नव सृजन किया जाता है :-



S. No.	RURAL	Book Lifter	LDC	Lab Asst.	Class -IV	Steno	Gas Man	Asst. Lib.	Lab. Boy	UDC	Mistr i	Total
1	राज. महा., भीम	2	3	0	4	0	0	0	0	0	0	9
2	राज. महा., भोपालगढ़	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3	राज. महा., भोपालगढ़ (बी.एड संकाय)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	राज. महा., बीबीरानी	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	राज. महा., चिमनपुरा	0	3	6	5	1	2	0	2	0	1	20
6	राज. महा., चिमनपुरा (बी.एड संकाय)	2	2	5	4	0	0	0	0	0	0	13
7	राज. महा., गोविन्दगढ़	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
8	राज. महा., कालाडेश	1	3	6	5	0	1	0	2	0	0	18
9	राज. महा., कालाडेश (बी.एड संकाय)	1	1	5	4	0	0	0	0	0	0	11
10	राज. महा., कैलवाडा	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	9
11	राज. महा., खैरवाडा	1	1	5	1	1	1	1	0	0	0	11
12	राज. महा., खैरवाडा (बी.एड संकाय)	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	6
13	राज. महा., कोटडा	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	9
14	राज. महा., मण्डकिथा	1	0	9	1	0	1	0	0	1	0	13
15	राज. महा., नसीरावाद	2	2	5	1	0	2	0	2	0	1	15
16	राज. महा., नसीरावाद (बी.एड संकाय)	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	9
17	राज. महा., थानागांजी	2	1	9	2	0	1	0	0	0	1	16
18	राज. महा., नादौती	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
	Total	29	27	59	40	2	8	1	6	1	3	176

S.No.	महाविद्यालय का नाम जहां आर.वी.आर.ई. एस-10 के अन्तर्गत पद मृत संवर्ग के रूप में नवसृजित हुआ है।	नवसृजित पद	पदों की संख्या
19.	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	एग्जिमल कैचर	1
20.	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	कार्यालय अधीक्षक (सर्वेयर पद हेतु)	1
21.	राजकीय महाविद्यालय, खैरवाड़ा	अनुदेशक	1
22.	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	लेखाकार	1
23.	राजकीय महाविद्यालय, कालाड़ेरा	कनिष्ठ लेखाकार	1
24.	राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया	लेखाकार	1
25.	राजकीय महाविद्यालय, खैरवाड़ा	लेखाकार	1

अनुच्छेद संख्या 2 के अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदों का राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के अन्तर्गत मृत संवर्ग के रूप में सृजन एवं अनुच्छेद संख्या 1 के विभिन्न महाविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्रास्थगित (kept in abeyance) रखने पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मृत संवर्ग के रूप में सृजित होने वाले पदों पर पदस्थापित व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के साथ ही वह पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा अनुच्छेद संख्या 1 में अंकित अशैक्षणिक कर्मचारी का समकक्ष पद जिसे प्रास्थगित (kept in abeyance) किया गया है, पुर्नजीवित हो जावेगा।

प्रास्थगित (kept in abeyance) रखे गये पद को पुर्नजीवित करने हेतु आदेश इस विभाग द्वारा अलग से जारी किये जावेंगे।



(सुबीर कुमार)  
निदेशक एवं पदेन  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

कं. एफ 4 (128)आयो/आकाशि/07-पार्ट/837 - 907

दिनांक 17.09.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर लेख हैं कि लेखाकार के प्रास्थगित (kept in abeyance) रखे गये पद पर राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने तक आपके विभाग के कर्मचारी का पदस्थापन न करें।
5. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. संबन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
9. संस्थापन/कम्प्यूटर/गोपनीय/कार्मिक शाखा/नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त

संयुक्त निदेशक (आयोजना)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर